CERTIFICATE

(To be submitted with the application for obtaining compounding plan)

01. Certified that the building completion of structure has been submitted for approval compounding conforms to the requirement of relevant Indian Standard Codes and National Building code as referred in Annexure-20/G.C. No.570/9/3-1-2001/ dated 03-02-01 in respect of Structural safety in general and national hazards including Earthquake in particular.

02. It is also certified that the Building has been constructed as per approved foundation and structural testings provided by the structural engineer which are certified to be based on relevant Indian standard code and national building code as referred above and the building is safe for occupancy.

03.

Location / Address of Building:-
Plot No / Khasra No- 41
Scheme/Colony- Varahi Apartments (earlier "Nalanda Heights")
Town- Fatehabad Road Taj Nagari Phase-2
District- Agra

Particulras of building

1 Ground coverage- 4432.50 sq-mt
2 Total covered area- 5960.96 sq-mt
3 Maximum number of floors above ground- G+8

Signature of engineer had Supervised the Construction

Signature of owner with date

Name (Block letter)..............
Address..................................

Name (Block letter) PAWAN KUMAR SINGH
Address:-..
....
Legible Seal

Signature of the Architect who Had supervised the Construction

Name (Block letter) AVANTIKA SHARMA
Address......................................
Legible Seal:-

AR. AVANTIKA SHARMA
B. Arch.
CA/2006/39081

Signature of the structural Engineer who Designed the building as per plane submitted for compounding

Name(Block letter) PAWAN KUMAR SINGH
Address:-..
Legible Seal:-

P.K. Singh

Er. Pavan Kumar
AM-184148-7
Mob:- 7830907034

कार्यालय-प्रवर्तन अनुभाग
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

HS-
Varahi compounding
file ✓

पत्रांक 772/डी/अ0नि0/2019 दिनांक 28/06/2019

प्रेषक,

सहायक अभियन्ता (प्रवर्तन),
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

श्री रमेश चन्द,
निदेशक वाराही बिल्डर्स प्रा0 लि0,
खसरा सं0–41, मौजा चमरौली,
आगरा।

विषयः– खसरा सं0–41, मौजा चमरौली, आगरा पर किये जा रहे निर्माण को शमन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके खसरा सं0–41, मौजा चमरौली आगरा पर प्रस्तुत शमन शमन मानचित्र पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 27.06.2019 को स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में कुल शमन शुल्क **277731/–(रुपये दो लाख सतत्तर हजार सात सौ इकत्तीस मात्र)** प्राधिकरण कोष में 15 दिवस में जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा इस धनराशि को उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–40 के अन्तर्गत भू–राजस्व की भाँति जिलाधिकारी, आगरा के माध्यम से वसूल कर लिया जायेगा, जिस पर नियमानुसार अतिरिक्त व्यय भी आपको ही वहन करना होगा एवं उक्त प्रतिबन्ध/शर्तों का पालन करना होगा। जो निम्नवत् हैं–

<u>प्रतिबन्ध/शर्तेः–</u>

1. स्वीकृत मानचित्र की समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
2. नियमानुसार आवश्यक वृक्षारोपण सुनिश्चित करना होगा।
3. भवन के स्ट्रेक्चर सेफ्टी प्राधिकरण में प्रस्तुत स्ट्रक्चरल सेफ्टी प्रमाणपत्र एवं डिज़ाइन के अनुसार निर्माणकर्ता को सुनिश्चित करना होगा।
4. अग्नि शमन विभाग द्वारा जारी एन.ओ.सी. की शर्तों का अनुपालन करना होगा एवं शमन मानचित्र पर एन.ओ.सी. प्राप्त कर प्राधिकरण में प्रस्तुत करना होगा।
5. निर्माणकर्ता को नियमानुसार पूर्णता प्रमाण पत्र प्राधिकरण से प्राप्त करने के पश्चात ही अध्यासन करना होगा।

6. सड़क सीमा हेतु छोड़ी गई भूमि को निःशुल्क प्राधिकरण को हस्तान्तरित करना होगा।
7. रेन वाटर हार्वेस्टिंग व सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम का प्राविधान करना होगा।
8. भविष्य में यदि कोई देयता शेष रहती है तो उसे मय ब्याज के प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा।
9. मानचित्र में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पालन न करने पर दी गई शमन स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
10. लेबर सेस की धनराशि पृथक से जमा करनी होगी। जिसकी गणना कार्य अनुसार जमा करना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

20/6/19

सहायक अभियन्ता (प्रवर्तन)

आ०वि०प्रा०

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

पत्रांक : 221/बी.एफ.टी./05/08-09 दिनांक : 31/3/10

प्रेषक,

सहायक अभियन्ता (भवन),
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

श्री किशोर कुमार अग्रवाल पुत्र श्री बाबूलाल अग्रवाल,
41-पाण्डव नगर,
आगरा।

विषय : नालन्दा हाईट्स, खसरा नम्बर-41 मौजा चमरौली, आगरा पर प्रस्तुत ग्रुप हाउस मानचित्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको सूचित किया जाता है कि उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दि. 30.03.10 के अन्तर्गत सन्दर्भित औपचारिकताओं की पूर्ति की दशा में आप द्वारा प्रस्तुत ग्रुप हाउस मानचित्र स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। अतः आप 15 दिन में निम्न औपचारिकताओं को पूर्ण कराते हुए वांछित धनराशि जमा करा दें :

1. वाह्य विकास शुल्क रू. 17,75,220.00
2. निरीक्षण शुल्क रू. 1,58,310.00
3. सिटी डवलपमेन्ट शुल्क रू. 18,85,710.00
4. आवेदक मलबा अपनी भूमि पर रखने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करता है तो मलवा शुल्क देय नहीं होगा। यदि मलबा सार्वजनिक भूमि/सड़क पर रखा पाया गया तो नियमानुसार मलवा शुल्क जमा करना होगा।
5. लैण्डफिल साइट तथा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर निर्धारित धनराशि जमा करानी होगी, जिसके लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. आवेदक को रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भूजल की रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर सिस्टम की व्यवस्था करनी होगी तथा 12फीट ऊँचाई का वृक्षारोपण करना होगा।
7. कूड़ादान हेतु मूवेबिल कन्टेनर की व्यवस्था करनी होगी।
8. वैकल्पिक सौर ऊर्जा संयंत्र/पी.सी.सी. सोलर हीटिंग सिस्टम का प्राविधान करना होगा।
9. योजना का सीवेज मुख्य मार्ग पर स्थित मुख्य राइजिंग मेन में जोड़ना होगा।
10. भू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई विवाद संज्ञान में आने पर अथवा स्वीकृत की गयी यूनिट का वि विक्रय किये जाने पर दी गयी स्वीकृति निरस्त मानी जायेगी।
11. शासन द्वारा भूकम्प रोधी निर्माण के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों का अनुपालन करते हुए निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे तथा शेष अन्य औपचारिकतायें भी पूर्ण उपरान्त ही मानचित्र निर्गत हो सकेगा।
   अ) पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में आर्कीटेक्ट, इन्जीनियर एवं आवेदक के स्पष्ट अलग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
   ब) प्रस्तावित भवन का स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं गणनायें देनी होंगी।
   स) इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि प्रस्तावित निर्माण का पर्यवेक्षण अर्ह इन्जीनियर से प्रस्तुत की गयी डिजाइन/ड्राइंग के अनुरूप करना होगा।

भवदीय